लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 172
उत्तर देने की तारिख : 02.02.2021

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अ.पि.व. के प्रवेश में भेदभाव

172. **डॉ. जयंत कुमार रायः**
श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री भोला सिंहः
श्री निशीथ प्रामाणिकः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार और राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग ने देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अ.पि.व. के प्रवेश में भेदभाव से संबंधित शिकायतों के संबंध में हाल ही में नाटिस जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने पुनर्वास और शिक्षा क्षेत्र में हुए घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 में संशोधन का प्रस्ताव किया है और इस पर पक्षकारों के सुझाव मांगे हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वर्ष 2020-21 हेतु 33 कार्य-योजनाओं को भी शुरू किया है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकारी मंत्रालयों/विभागों में अ.पि.व. के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क): जी, हां। एनसीबीसी को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में ओबीसी के दाखिले में भेदभाव करने के बारे में 09 अलग-अलग व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 08 शिकायतों का

निपटान कर दिया गया है जबकि एक मामले में डॉक्टर हरि सिंह गौड़, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश से अभी उत्तर प्राप्त किया जाना है।

(ख) तथा (ग): पुनर्वास और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास के मद्देनजर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने दिव्यांगजन अधिकार (डीईपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुरूप भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) 1992 में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव तथा उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप लाने के लिए हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

(घ) तथा (ङ): मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की निम्नलिखित 33 स्कीमों के लिए वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजनाएं शुरू की हैं:-

1. अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
2. अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग
3. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना
4. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए तंत्र का सुदृढ़ीकरण
5. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना
6. अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
7. अस्वच्छ व्यवसायों में नियोजित व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
8. अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता
9. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप
10. मैनुअल स्केवेंजरों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी स्व-रोजगार स्कीम
11. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति
12. अनुसूचित जातियों के उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा
13. अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
14. इनफार्मेशन एंड मास एजुकेशन सैल
15. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
16. नशीली दवा की मांग में कटौती करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
17. भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम
18. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
19. अन्य पिछड़े वर्गों, विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजातियों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कौशल विकास के लिए सहायता
20. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बाल और बालिका छात्रावास
21. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

22. विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास संबंधी स्कीम
23. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
24. अन्य पिछड़े वर्गों के ओवरसीज अध्ययन संबंधी ब्याज सब्सिडी
25. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप
26. डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रतिष्ठान
27. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
28. डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र
29. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम
30. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम
31. अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि
32. पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि
33. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम

वर्ष 2020-21 के लिए उपर्युक्त स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना मंत्रालय की वेबसाइट http://socialjustice.nic.in/ पर उपलब्ध है।

(च): विभाग द्वारा सरकारी मंत्रालयों/विभागों में ओबीसी की संरक्षा और संवर्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1) ओबीसी को केंद्रीय सरकारी सेवाओं में भर्ती और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के संबंध में 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है।
2) संविधान के अनुच्छेद 338ख के अनुसार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (एनसीबीसी) का यह कर्तव्य है कि वह ओबीसी को दिए गए सुरक्षोपायों के संबंध में सभी मामलों की जांच और निगरानी करे और ओबीसी के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन के संबंध में प्राप्त विशिष्ट शिकायतों की जांच करे।
3) मंत्रालय ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत ओबीसी छात्रों के लिए वर्ष 2020-21 हेतु आय सीमा संबंधी मानदंडों को 1.50 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए प्रति वर्ष किया है। ईबीसी के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2020-21 के लिए आय संबंधी मानदंड को 1.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए किया गया है। इसके अतिरिक्त, ओबीसी/ईबीसी के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण संबंधी डॉ. अंबेडकर ब्याज सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत बीसी छात्रों के लिए आय सीमा संबंधी मानदंडों को वर्ष 2020-21 के लिए 2.50 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8.00 लाख रुपए प्रति वर्ष किया गया है।

*****